मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 24/05/2023

क्र. एफ 16-55/2022/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स सिद्धायु लाईफ साईंसेंस प्रा. लि. द्वारा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर बोरगांव, ग्राम खैराताईगांव, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाडा में रूपये 54.10 करोड के स्थाई पूंजी निवेश (पुनरीक्षित निवेश रू. 73.74 करोड़) से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (आयुर्वेदिक आहार) विनियम 2021 के प्रावधान अनुसार खाद्य प्रसंस्करण इकाई मान्य करते हुए उक्त विनियम अंतर्गत प्रस्तावित/ अनुमोदित आयुर्वेदिक आहार उत्पादों के निर्माण हेतु परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव (MSME1220315000) पर निम्नानुसार सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता–** कम्पनी को प्लांट, मशीनरी एवं भवन में किए गए पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत की स्थिर दर से सुविधा की पात्रता शर्तों के अध्याधीन होगी। कम्पनी को खाद्य, रोजगार एवं निर्यात गणक का लाभ पृथक से प्राप्त होगा।
2. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना अंतर्गत स्थापित नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रुपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जायेगी।
3. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना अंतर्गत स्थापित नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 10 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।
4. **मण्डी शुल्क से छूट-** परियोजना को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 04/04/2022 अनुसार प्रदान की जाये।
5. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।
6. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगी।
7. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मनीष सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर.......

पृ. क्र. एफ 16-55/2022/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 24/05/2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर।
4. कलेक्टर, जिला- छिन्दवाडा।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स सिद्धायु लाईफ साईसेंस प्रा. लि. C/704, Pramukh Plaza, Cardinal Gracius Road, Chakala Andheri (East), Mumbai-400069।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग